10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(70) (2)

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा.सं./2017/2760

न्यायालय : मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म0प्र0।

प्रकरण क्रमांक : ..../2017–18

निगरानीकर्तागण– 1. रामलखन पुत्र अमृतलाल धाकड़, निवासी ग्राम भटनावर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।

2. कमल किशोर पुत्र छुट्टाराम ओझा निवासी ग्राम भटनावर तहसील पोहरी जिला, शिवपुरी, म0प्र0।

दिनांक 21.8.17 को श्री विनोद कुमार आवास अभि० द्वारा प्रस्तुत/

विरुद्ध

रेस्पोडेन्ट 1. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी, म0प्र0।

2. तहसीलदार, तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0।

21.8.17

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दि0 25.07.2017, जो कि प्रकरण क्र0/08/2016–17/अ–68 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, म0प्र0 द्वारा पारित किया गया है एवं जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 248(1) के तहत राशि रुपये 23260/– (तेईस हजार दो सौ साठ रुपये) अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर ग्राम भटनावर की भूमि सर्वे नं0 778 रकवा 0.03 है0 माफी पीर की भूमि में से 32ग28 त्र 896 वर्गफुट पर बने पक्के मकान से बेदखल किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

1. यह कि, सन् 1966 से पूर्व से निगरानीकर्ता के पूर्वज ग्राम भटनावर स्थित पीर स्थान की माफी भूमि सर्वे नं0 904 रकवा 2 वीघा एवं सर्वे नं0 913 रकवा 5 वीघा की भूमि में से 129 वर्गफुट पर मकाननिर्माण बनाकर तथा 1291 वर्गफुट भूमि पर आरा मशीन व आटा चक्की लगाकर काबिज चला आ रहा है जिसका भू–राजस्व का निर्धारण विधिवत अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्र0क्र0 2/अ–2/66–67 में पारित आदेश दिनांक 21/12/1966 से रुपये 3.49 पैसे निर्धारित किया गया।

21/8/017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–निगरानी / शिवपुरी / भू0रा0 / 2017 / 2760

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
25/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानिगरानी तहसीलदार पोहरी के प्रकरण कमांक 8 / 2016–17 अ–68 में पारित आदेश दिनॉक 25–7–17 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के अवलोकन पर परिलक्षित है कि तहसीलदार ने आवेदक को प्रकरण कमांक 8 / 2016–17 अ–68 में पारित आदेश दिनॉक 25–7–17 से ग्राम भटनावर की भूमि सर्वे कमांक 778 के रकबा 32X32= 896 वर्गफुट भूमि पर निर्मित पक्के मकान को हटाने एंव अतिकमण स्वरूप 23260 / –अर्थदण्ड वसूली के आदेश दिये है । 3/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनबाई–योग्य नही रही है। तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनॉक 25–7–17 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पीढ़ित पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	